


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारा (राज)

क्रमांक 72/25

दिनांक 25.09.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री बडीलाल पुत्र/पुत्री लक्ष्मीनारायण पटवारी
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दीलोड़ पटवारी माण्डल दीलोड़ तहसील छबड़ा
 जिला बारा की चालू जमाबंदी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 289 में खातेदार/गैरखातेदार का
 नाम/जति बदरपा पुत्र लक्ष्मीनारायण अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से
बडीलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जात पटवारी दीलोड़
 से करवाने पर पटवारी ने बदरपा के बजाय बडीलाल
 करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में बदरपा
 के बजाय बडीलाल करना उचित बताया।
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (अ) अधिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
 ग्राम दीलोड़ के खाता संख्या 289 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जति बदरपा
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से बडीलाल दर्ज करने का
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार नगसरा रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारा
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)